

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 79/2013 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 04.03.2013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. पुलन्दरसिंह पुत्र अहिवरनसिंह गुर्जर उम्र 42 वर्ष।
2. रामबीरसिंह पुत्र अहिवरनसिंह गुर्जर उम्र 32 वर्ष।
3. भूरे उर्फ बीरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष।
4. दिलीपसिंह पुत्र अहिवरनसिंह गुर्जर उम्र 30 वर्ष।
समस्त निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0. 43/2013 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण कं0 79/2013

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

अभियुक्तगण द्वारा श्री के.सी.उपाध्याय एवं श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्तागण

//निर्णय//

//आज दिनांक 13-04-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 147, 148, 302 विकल्प में धारा 302/149, 307 विकल्प में धारा 307/149 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 04.11.2012 के 6 बजे ग्राम आलौरी के पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड में सहअभियुक्त पुलन्दर, रामबीर, भूरे उर्फ बीरेन्द्र, दिलीप व मोहरसिंह (जो कि नावालिग होने से किशार न्याय बोर्ड भेजा गया है।) के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया

जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या एवं हत्या के प्रयास का था और उसके सदस्य रहते हुए जिसका कि सामान्य उद्देश्य हत्या एवं हत्या के प्रयत्न का था उसके अग्रसरण में फरियादी पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या व हत्या के प्रयत्न का था उसके अग्रसरण में इन्द्रपाल व हरपाल पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध लाठी जिससे कि मृत्यु कारित होनी संभाव्य है उससे सुसज्जित थे। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतक हरपालसिंह की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की। बैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि मृतक हरपालसिंह की मृत्यु कारित करने हेतु विधि विरुद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य उसकी हत्या कारित करने का था और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए हरपालसिंह की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की। आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत इन्द्रपाल को इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते और इस दौरान इन्द्रपाल को मार्मिक अंग पर लाठियों से मारपीट कर उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ इन्द्रपाल की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते और इस दौरान घातक लाठियों से मार्मिक अंग पर चोट पहुँचाकर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में यह अविवादित है कि फरियादीगण और आरोपीगण एक ही परिवार एवं गांव के निवासी हैं और पूर्व से एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। यह भी अविवादित है कि मुखबिरी की शंका को लेकर घटना दिनांक को देवताओं के समक्ष कसम खाने और कसम खिलाने की बात भी हुयी थी। यह अविवादित है कि वर्तमान प्रकरण की घटना, दिनांक व घटना समय व दिनांक से संबंधित क्रोस केश सत्रवाद क्रमांक 164/2013 शा0पु0 पुलिस गोहद वि0 केदार आदि वर्तमान प्रकरण के मृतक हरपाल, आहत इन्द्रपाल, फरियादी मानसिंह के विरुद्ध धारा 307 भा0दं0वि0 एवं धारा 29/30 आयुध अधिनियम का पंजीबद्ध हुआ है जो कि इसी न्यायालय में संचालित है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 04.11.2012 का फरियादी मानसिंह जो कि ग्राम आलौरी का रहने वाला है के द्वारा एक लेखीय आवेदनपत्र थाना गोहद में इस आशय का पेश कि वह दिन के दो ढाई बजे अपने आलौरी स्थिति खेत में

काम कर रहा था तभी भूरेसिंह पुत्र जबरसिंह तथा पुलन्दर पुत्र अहिवरनसिंह जो कि ग्राम आलौरी के रहने वाले है उसके पास आकर पुलन्दर उससे बोला कि तुमने भूरे और राजाभईया की मुखविरी की है तो फरियादी ने मना किया कि मैने मुखविरी नहीं की है। इसी बात पर भूरे और पुलन्दर बोले कि मुखविरी नहीं की है तो चलो मंदिर पर धर्म कर के कसम खाओ। फिर वह उनके साथ बेरिया बाबा मंदिर जाकर उसने कसम खाई और वहाँ से उनके साथ घर लौट आए। शाम के 6 बजे करीब गोहद जाने के लिए गांव से निकला था तभी किसी ने उसे बताया कि उसके लडके को पुलन्दर, रामबीर, दिलीपसिंह मिलकर मार रहे है, वह दौड़कर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके बेटा पिकू उर्फ हरपाल एवं इन्द्रपाल की उक्त लोग मारपीट कर रह थे और मारपीट में मोहरसिंह भी शामिल था और सभी के द्वारा लाठियों से उसके लडकों की मारपीट की जा रही थी। उसने शोर मचाया तो आरोपीगण भाग गए। घटना माहो गांव के रायसिंह ने भी देखी है। घटना में उसके बड़े भाई की बंदूक भी पुलन्दर आदि ने तोड़ दी। आरोपी पुलन्दर आदि ने इसके पहले उसकी पत्नी को भी मारा था तब से उनकी बुराई चल रही है। उपरोक्त लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 1 के आधार पर थाना गोहद में अपराध क्रमांक 250/2012 धारा 147, 148, 149, 307 भा0दं0वि0 का आरोपी पुलन्दरसिंह, रामबीरसिंह, दिलीपसिंह, भूरेसिंह व मोहरसिंह के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। आहतों को गोहद अस्पताल मेडीकल परीक्षण एवं इलाज हेतु भेजा गया। आहत हरपाल को गंभीर चोटें होने से ग्वालियर अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र. पी. 22 का बनाया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, 12 बोर की बंदूक के दो चले हुए खाली कारतूस, दो जिंदा कारतूस 12 बोर के, टूटी हुई बंदूक के बट का हिस्सा, एक 12 बोर की दुनाली बंदूक खोलने का लीवर तथा बंदूक का एक लोहे का पुर्जा जप्त किया गया। विवेचना के दौरान आहत हरपालसिंह की ग्वालियर अस्पताल में मृत्यु हो गई जो कि मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक 39/2012 कायम किया गया और मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक की मृत्यु हो जाने से धारा 302 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। साक्षियों के कथनों में आरोपी भूरे का भी घटना में शामिल होने के संबंध में तथ्य आया। आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की गई और पूछताद कर मेमोरेण्डम कथन लिए गए जिनके आधार पर आरोपी भूरेसिंह से एक लाठी बांस की, आरोपी मोहरसिंह से भी एक लाठी बांस की जिसमें 9 गांठें थी, आरोपी दिलीप से भी एक बांस की लाठी जिसमें जिसकी लम्बाई 4 फिट 1 इंच थी एवं आरोपी पुलन्दर से भी एक लाठी बांस की जिसमें 9 गांठें थी जप्त की गई। मृतक हरपाल के बिसरा की भी जप्ती की गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया

गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध धारा प्रथम दृष्टिया धारा 147, 148, 302 विकल्प में धारा 302/149, 307 विकल्प में धारा 307/149 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से उक्त धाराओं में आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित करते हुए बताया है कि कोस केश से बचने के लिए उन्हें झूठा फसाया है। इसके अतिरिक्त आरोपी भूरा ने व्यक्त किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था इसके अतिरिक्त उसने यह भी बताया है कि उसने अमरसिंह भदौरिया का खेत खरीदा था जिसे कि फरियादी मानसिंह बटाई पर जोतता था जिससे फरियादी की उससे से रंजिश हो गई थी।

06. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 04.11.2012 के 6 बजे शाम ग्राम आलौरी के पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड में सहअभियुक्त पुलन्दर, रामबीर, भूरे उर्फ बीरेन्द्र, दिलीप व मोहरसिंह (जो कि नावालिग होने से किशार न्याय बोर्ड भेजा गया है।) के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उसके सदस्य रहते हुए जिसका कि सामान्य उद्देश्य हत्या एवं हत्या के प्रयत्न का था उसके अग्रसरण में फरियादी पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
2. क्या आरोपीगण उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या व हत्या के प्रयत्न का था उसके अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध लाठी जिससे कि मृत्यु कारित होनी संभाव्य है उससे सुसज्जित थे?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर या उसके लगभग मृतक हरपालसिंह की मृत्यु कारित हुई?
4. क्या मृतक हरपालसिंह की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होकर हत्या की श्रेणी का है?

बिकल्प में

क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ विधि विरुद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य हरपालसिंह की हत्या करने का था उक्त समूह के सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए हरपालसिंह की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की?

5. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत इन्द्रपाल को इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी हो जाते?

बिकल्प में

क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ इन्द्रपाल की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते?

6. क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त अनुसार कार्य करते हुए घातक हथियार लाठियों से मार्मिक अंग पर चोट पहुँचाकर उपहति कारित की?

—: सकारण निष्कर्ष:—**बिन्दु क्रमांक 3 व 4:—**

07. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 3 ने अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 04.11.12 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ होना एवं उसी दिनांक को आहत हरपाल को परीक्षण हेतु उनके पास लाया जाना पर उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई जानी उनके द्वारा बताया गया है— (i) सर में पीछे की तरफ दाँए भाग में 2 x 0.3 x 0.3 से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (ii) सर में बाँई तरफ 2.5 गुणा 0.3 x 0.3 से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (iii) दाँई जाँघ में 6 x 1.5 से.मी. नील का निशान था। (iv) दाँए पेर के बीच के एक तिहाई भाग में 1.3 से.मी. x 0.3 से.मी. x 0.2 से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (v) दाँए हाथ में सूजन थी। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि आहत को चोटें कड़े एवं भौथरे वस्तु से आना संभव है जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। आहत को आई चोट क्रमांक 3 साधारण प्रकृति की थी, शेष चोटों के लिए एक्सरे परीक्षण की सलाह दी थी। इस संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

08. उक्त साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया है कि उपरोक्त दिनांक को ही आहत इन्द्रपालसिंह की चोटों का मेडीकल परीक्षण उनके द्वारा किया गया था, जिसमें आहत को निम्न चोटें पाई थी— (i) सर के बीच में फटा हुआ घाँव 4 गुणा 0.3 से.मी. गुणा 0.3 से.मी. का आकार का था। (ii) दाएं पैर के बीच में एक तिहायी भाग में 1.8 गुणा 0.3 गुणा 0.2 से.मी. तथा 1.6 गुणा 0.3 गुणा 0.2 से.मी. के फटे हुए घाँव थे। (iii) बाएं पैर के बीच के एक तिहाई भाग पर 1.6 गुणा 0.2 गुणा 0.2 से.मी. का घाँव था। (iv) दाईं कोहनी में सूजन 4 गुणा 3 से.मी. भाग पर थी। (v) बाईं कोहनी में 4 गुणा 2.8 से.मी. भाग पर सूजन थी। (vi) बाएं हाथ की तर्जनी उगली में 2 गुणा 1 से.मी. का नील का निशान था। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि उक्त चोटें कड़े तथा भौथरी वस्तु से आना संभव थी जो कि 6 घण्टे के अंदर की थी। आहत को आई चोट क्रमांक 1 साधारण प्रकृति की थी एवं शेष चोटों की प्रकृति जानने के लिए आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। उनके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. उक्त साक्षी के द्वारा आगे अपने कथन में यह भी बताया गया है कि उपरोक्त दिनांक को आहत हरपाल सिंह तथा इन्द्रपालसिंह का मृत्युकालीन कथन लेने के लिए आवेदनपत्र उनके पास दिया गया था। आहत हरपाल उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थे इसलिए उसका मृत्यु पूर्व कथन नहीं लिया जा सका तथा इन्द्रपाल भी स्वस्थ रूप से बोल नहीं पा रहा था इस कारण उसका भी मृत्यु पूर्व कथन नहीं लिया जा सका था। इस संबंध में उनकी रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

10. डॉक्टर सार्थक जुगरान अ0सा0 6 जो कि गजरांजना चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ थे और दिनांक 05.11.2012 को मृतक हरपालसिंह का शव परीक्षण किया है। **बाह्य परीक्षण—** मृतक सामान्य कदकाठी का व्यक्ति था जो सफेद कलर की शर्ट, लाल रंग का लोअर, हरे रंग की चड्डी पहने हुए था। मृतक के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी दाईं कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी जो कि दोनों पट्टियाँ खून से सनी हुई थी। मृतक की दोनों आँखें बंद थी, पुतली धुंधली, मुँह बंद, ओट एक दूसरे से सटे हुए थे, मृत्यु उपरांत की अकडन शरीर पर पूर्ण रूप से विद्यमान थी तथा मृत्यु उपरांत की लालिमा शरीर के पिछले भाग पर स्थायी रूप से मौजूद थी। मृतक की उपरी दोनों भुजाएं सीदी थी तथा दोनों निचली भुजाएं टकने से मुड़ी हुई थी।

11. उक्त साक्षी ने आगे बताया है कि आहत को निम्न चोटें पाई थी— बाईं भुजा पर रगड़ की चोट जो सतह पर फटी हुई थी जिसका आकार 2.5 गुणा 0.6 से.मी. था। रगड़ की चोट बाईं भुजा पर पीछे की तरफ एवं अंदर की ओर लगभग बीच में 2.5 गुणा 0.8 से.मी.

आकार की थी। रगड की चोट वाईं आँख के उपर बाहर की तरफ जिसका आकार 0.4 गुणा 0.2 से.मी. आकार की थी। रगड की चोट जो अंदर से मुदी हुई थी वाईं उपरी भुजा पर बीच में जिसका आकार 1.6 गुणा 1.4 से.मी. था। रगड की चोट दाईं जांघ पर सामने की ओर 2.5 गुणा 1.2 से.मी. आकार में थी। रगड की चोट जो कि सतह से फटी हुई थी दाईं जांघ पर निचले एक तिहायी भाग में 0.4 गुणा 0.3 से.मी. आकार में। दाएं पैर पर सामने की तरफ टकने से 18.2 से.मी. नीचे फटा घाँव जिसका आकार 2.5 गुणा 2.2 से.मी. था। दूसरा फटा हुआ घाँव इससे नीचे एवं अंदर की तरफ 2.5 गुणा 2.1 से.मी. आकार का था जिसके आसपास के सभी ऊतक कुचले हुए थे तथा इन सभी जगह पर खण्डित रक्त स्त्राव मौजूद था तथा पैर की हड्डी अंदर की तरफ धसी हुई थी। रगड की चोट बाएं टकने पर बाहर की तरफ 2.3 गुणा 0.6 से.मी. आकार में थी तथा रगड की चोट वाईं ओर पीठ पर लगभग बीच में जिसका आकार 0.4 गुणा 0.2 से.मी. था। रगड की चोट दाईं ओर पीठ पर आकार 0.8 गुणा 0.6 से.मी. था। इस चोट के आसपास मुदी हुई चोट थी जो रेल पेटर्न जैसी थी तथा जिसका आकार 12.5 से.मी. गुणा 3.2 से.मी. था। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी रेल पेटर्न चोट उपरी चोट से बिल्कुल नीचे एवं समानान्तर थी जिसका आकार 12.5 गुणा 2.5 से.मी. था। रेल पेटर्न चोट दाईं ओर पीठ पर इस्केपुला हड्डी के बिल्कुल नीचे 10 गुणा 2.5 से.मी. आकार की थी। रेल पेटर्न की चोट शरीर के मध्य भाग से दाईं ओर एवं पीठ पर पीछे की तरफ मध्य भग में 10.2 गुणा 2.5 से.मी. आकार की थी। रेल पेटर्न चोट कुल्हों के उपरी भाग पर मध्य भाग से दोनों ओर फैलती हुई जिसका आकार 3.5 गुणा 2.5 से.मी. था। मुदी हुई चोट बाएं पैर पर पीछे की तरफ उपरे एक तिहायी भाग पर जिसका आकार 4.8 गुणा 2.5 से.मी. था।

12. साक्षी के द्वारा अपने कथन में आगे बताया है कि मृतक के सिर में शल्यक्रिया द्वारा सिला हुआ घाँव वाईं ओर माथे पर सामने की तरफ मौजूद था जिसका आकार 1.5 से.मी. था तथा जिसमें एक टांका लगा हुआ था एवं आसपास खून का थक्का जमा हुआ था। शल्यक्रिया द्वारा सिला हुआ घाँव दाईं ओर पीछे की तरफ था जिसका आकार 4.2 से.मी. था तथा जिसमें तीन टांके लगे हुए थे। मृतक का स्कैल्प अंदर से रक्त रंजित था तथा दांयी टेम्पुरल मास पेशी भी रक्त रंजित थी। मृतक के सिर पर ऊपर की ओर एक अंदर धंसा हुआ फ्रेक्चर मौजूद था जिससे कई सारी फ्रेक्चर लाईन बाहर निकल रही थी तथा कहीं कहीं पर छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े अंदर की ओर धसे हुए थे। मृतक का मस्तिष्क कोमल हो चला था तथा सब अरेक्नाईट रक्त स्त्राव वाईं ओर पूरी तरह से मौजूद था तथा मस्तिष्क के निचले हिस्से में भी फैला हुआ था। खोपड़ी के बेस में फ्रेक्चर मौजूद था जो मध्य भाग में था। स्कल में पाए गए फ्रेक्चरों का रेखाचित्र पी.एम. रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 6 पर दर्शाया गया है। मृतक

की उक्त सभी चोटें ताजी थी एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। **आंतरिक परीक्षण—** मृतक के दोनों फेंफड़ों में उसकी सतह पर पाई गई चोटों के नीचे मुदी हुई चोटें थी तथा दोनों फेंफड़ो पेल प्रतीत होते थे। मृतक का हृदय खाली था, आँतों की झिल्ली जगह जगह पर फटी हुई थी एवं मुदी हुई चोटें मौजूद थी। मृतक के पेट में खून भरा हुआ था, पेट में पीला पचा हुआ खाद्य पदार्थ मौजूद था। मृतक का लीवर दाईं ओर पूरी तरह से मुदी हुई चोट से भरा था तथा 2.2 गुणा 1.6 से.मी. आकार की फटी हुई चोट मौजूद थी।

13. अभिमत में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि मृतक की मृत्यु सदमे एवं रक्त स्त्राव से हुई थी जो कि उसके शरीर पर आई विभिन्न चोटों के कारण थी। यह चोटें सख्त एवं भौतरे हथियार से कारित की गई थी। मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकार की थी। मृतक की मृत्यु की अवधि पोस्टमार्टम किए जाने से 6 घण्टे से 24 घण्टे के भीतर की थी। मृतक के कपड़े, दो बोतल बिसरा, सील नमूना एवं नमक के घोल का नमूना सीलबंद कर सुरक्षित किया गया एवं संबंधित आरक्षक को सौंप दिया गया। उनके द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. घटना दिनांक को हरपालसिंह के साथ मारपीट होना और उसके शरीर पर चोटें आना और चोटों के कारण हरपालसिंह की मृत्यु हो जाना साक्षी इन्द्रपालसिंह अ0सा0 2 के कथना में भी आया है और फरियादी मानसिंह अ0सा0 1 ने भी हरपाल की मृत्यु चोटों के कारण इलाज के दौरान ग्वालियर में होना बताया है।

15. हरपाल की मृत्यु हो जाना ए.एस.आई रमेशचन्द्र गोड अ0सा0 13 जो कि घटना के समय थाना कम्पू में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था और जे.ए.एच. ग्वालियर के चिकित्सक की लिखित सूचना के आधार पर मर्ग कायम कर सफीनाफार्म प्र.पी. 3 जारी किया करना और लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 4 तैयार करना बताया है और शव को परीक्षण हेतु गया था। थाना कम्पू से मर्ग की डायरी प्राप्त होने पर धारा 302 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया है। इस प्रकार मृतक हरपाल सिंह की मृत्यु होना उपरोक्त आधारों पर प्रमाणित होना पाया जाता है।

16. मृतक हरपालसिंह की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी इन्द्रपाल अ0सा0 2, साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 के द्वारा उसकी लाठियों से मारपीट होना और उसे चोटें आना बताया है। इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 3 के कथन से आहत हरपालसिंह तथा आहत इन्द्रपालसिंह को शरीर पर उपरोक्त बताई गई चोटें

मौजूद होना पाया गया है। डॉक्टर सार्थक जुगरान अ0सा0 6 जिन्होंने कि मृतक हरपालसिंह का शव परीक्षण किया है के कथन से स्पष्ट है कि मृतक के शरीर पर बताई हुई चोटें मौजूद थी। मृतक की मृत्यु उसकी चोटों से हुए सदमे एवं रक्त स्त्राव से होना अपने अभिमत में बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया गया है कि मृतक की मृत्यु मानव वध की कोटि की है जो कि पोस्टमार्टम के 6 से 24 घण्टे की थी। इस बिन्दु पर साक्षी ए.एस.आई रमेशचन्द्र गोड अ0सा0 13 जो कि घटना के समय थाना कम्पू में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था और जे.ए.एच. ग्वालियर के चिकित्सक की लिखित सूचना के आधार पर मर्ग कायम कर सफीनाफार्म प्र.पी. 3 जारी किया करना और लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 4 तैयार करना बताया है, पंचनामा प्र.पी. 4 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त पंचनामा में भी इस बात का उल्लेख है कि मृतक हरपाल की मृत्यु झगडे में आई सिर व बदन में चोटों के कारण होने का उल्लेख है।

17. हरपाल की मृत्यु स्वभाविक रूप से हुई हो अथवा किसी दुर्घटना के कारण हुई हो अथवा उसकी मृत्यु आत्महत्यात्मक प्रकार की हो ऐसा भी कहीं प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार मृतक हरपालसिंह की मृत्यु हो जाना और उसकी मृत्यु मानव वध की प्रकृति का होना उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना पाया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 1, 2, 5 व 6

18. मृतक हरपाल के शरीर पर विभिन्न स्थानों पर चोटें आना और उसकी चोटों के कारण मृत्यु हो जाना तथा आहत इन्द्रपाल के शरीर पर भी उसके मार्मिक अंग सिर सहित शरीर के विभिन्न स्थानों पर चोटें आना चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 3 के कथन से भी स्पष्ट है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया गया? क्या उक्त बलवा कारित करने के दौरान घातक आयुध जिनसे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है से आरोपीगण सुसज्जित थे? क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा हरपालसिंह की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की? क्या आरोपीगण के द्वारा इन्द्रपाल की हत्या का प्रयत्न किया और इस दौरान उसे आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उपहति कारित की?

19. घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि मृतक हरपाल उसका लडका था और इन्द्रपाल भी उसका लडका है। शाम के पांच-छः बजे की घटना है, उस समय वह गांव

से निकला था तो थोड़ी दूरी पर हल्ला सुनाई दिया। आरोपीगण पुलन्दर, रामबीर, दिलीप, भूरा और महेन्द्रसिंह जो कि खेतों में गाली गलोज कर रहे थे। पुलन्दर ने हरपालसिंह को लाठी सिर में मारी, दूसरी लाठी रामबीर ने हरपाल को पीछे से मारी, तीसरी लाठी दिलीप ने हरपाल को मारी और चौतरफा घेरकर चौथी लाठी मोहरसिंह ने हरपाल को दाहिने पैर में मारी तथा भूरा ने हरपाल को पसली में लाठी मारी थी। उसके छोटे लडके इन्द्रपाल को पुलन्दर, रामबीर, दिलीप, मोहरसिंह और भूरा ने लाठी डंडों से मारा था। इन्द्रपाल के शरीर में लाठियों की चोटें आई थी और पैर टूट गया था। मौके पर माहो गांव का रायसिंह आ गया था। फिर अपने लडकों को टैक्टर में रखा और उन्हें गोहद ले आया। उसके दोनों लडके बोल नहीं पा रहे थे। उसने पुलिस थाना गोहद में लेखीय आवेदनपत्र दिया था जो प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने से उसके लडकों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें ग्वालियर रिफर किया गया। ग्वालियर पहुँचने से पहले ही रास्ते में बड़ा लडका हरपाल खत्म हो गया। ग्वालियर में छोटे लडके इन्द्रपाल का इलाज हुआ था। हरपाल की मृत्यु होने पर पुलिस आ गई थी और पुलिस ने सफीनाफार्म प्र.पी. 3 जारी किया और लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 4 बनाया था। लाश उसे सुपुर्दगी पर प्राप्त हुई थी, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 5 है।

20. घटना के संबंध में घटना के आहत साक्षी इन्द्रपालसिंह अ0सा0 2 अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि मृतक हरपाल उसका बड़ा भाई था। घटना साक्ष्य दिनांक 01.08.2014 से करीब 2 साल पहले की है। आरोपी पुलन्दर आया और उसके पिताजी से कह रहा था कि तुमने भूरा और राजाभाईया की मुखविरी की है, उसके पिता ने उससे मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और न ही उन्होंने ऐसा कहा, तब पुलन्दर ने मंदिर पर कसम खाने के लिए जाने को कहा और उसके पिता खड़े होकर पुलन्दर के साथ कसम खाने के लिए मंदिर में चले गए। मंदिर से कसम खाने के बाद वापस आ गए, उसके पिता भी गांव में आ गए। घटना के समय वह और उसका भाई हरपाल अपने खेत जोत रहे थे जो कि वह टैक्टर चला रहा था। आरोपी पुलन्दर, दिलीप, रामबीर, मोहरसिंह हाथों में लाठियाँ लेकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह खेत जोत रहे थे और आकर के माँ बहन की गालियाँ देने लगे। हरपाल ने उन्हें गाली देने से मना किया तो उक्त लोगों ने कहा कि तुम लोग पुलिस की मुखविरी करते हो और बकवास करते हो। फिर सब लोग एक राय होकर उसके भाई हरपाल की तरफ मारने के लिए दौड़े, उसके पिता भी खेतों से भागकर उसी समय आ गए थे, वह अपने पिता के लिए चिल्ला रहा था। तब तक आरोपीगण ने उसके भाई हरपाल को लाठियों से मारना चालू कर दिया, उसे घटना में चोटें लगी थी जो कि उसके

सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई थी। उसके भाई हरपाल के भी सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य भागों में भी काफी चोटें आई थी। हरपाल की चोटें लगने से मृत्यु हो गई थी।

21. साक्षी ने अपने साक्ष्य कथन में आगे यह भी बताया है कि लाठियों मारने के बाद आरोपीगण भाग गए थे। उसके पिता, उसके व उसके भाई के पास आए और दोनों को उठाकर ट्राली में डाल लिया और फिर उन्हें टैक्टर ट्राली में गोहद ले आए और गोहद थाने में उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। वह और उसका भाई कम बोल पा रहे थे। उसे और उसके भाई को अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में उसके शरीर में टांके लगाए गए थे और भाई को भी टांके लगे थे। गोहद से उसे व उसके भाई को ग्वालियर अस्पताल के लिए रिफर किया गया था, ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहाँ पर उसका इलाज हुआ था। रास्ते में ग्वालियर ले जाते समय उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। उसके शरीर पर चोटे होने से करीब एक माह तक वह ग्वालियर अस्पताल में भर्ती रहा। पुलिस ने उसका वयान लिया था।

22. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रायसिंह अ0सा0 4 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है जिस कारण अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

23. अभियोजन के अन्य साक्षी ए.एस.आई आर.एस. कुशवाह अ0सा0 9 जो कि दिनांक 04.11.2012 को थाना गोहद में प्र0आर0 लेखक के पद पर पदस्थ था के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 307, 34, 147, 148, 149 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध करना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर से मार्ग की डायरी कायमी हेतु प्राप्त होने पर असल मार्ग अंतर्गत धारा 174 सी.आर.पी.सी. प्र.पी. 19 का उनके द्वारा कायम करना बताया है। रमेशचन्द्र गौड अ0सा0 13 जो कि थाना कम्पू पर प्र0आर0 के पद पर दिनांक 04.11.2012 को पदस्थ थे। उक्त दिनांक को जे.ए.एच. के चिकित्सक के द्वारा हरपाल की मृत्यु की सूचना प्र.पी. 28 प्राप्त होने पर मार्ग अंतर्गत धारा 174 सी.आर.पी.सी. प्र.पी. 29 लेखबद्ध करना बताया है। मृतक हरपाल के शव को परीक्षण हेतु भेजे जाने के पूर्व सफीनाफार्म प्र.पी. 3 जारी कर लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 4 तैयार करना बताया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजना बताया है तथा शव परीक्षण के बाद शव के साथ मृतक के जप्तशुदा माल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 30 तैयार करना बताया है।

24. उपनिरीक्षण शिवकुमार शर्मा अ0सा0 12 जो कि दिनांक 04.11.2012 को थाना

गोहद में उपनिरीक्षण के पद पर पदस्थ थे। घटना के पश्चात् अपराध के डायरी विवेचना हेतु उन्हें प्राप्त होना एवं प्रकरण की विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही अर्थात् दिनांक 04.11.2012 को साक्षी इन्द्रपाल का कथन लेखबद्ध करना, दिनांक 05.11.12 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 23 तैयार करना जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना, घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, दो कारतूस जिंदा 12 बोर के, दो चले हुए कारतूस 12 बोर के, एक बंदूक का लीवर और बट का हिस्सा मौके पर मिले थे जो कि गवाहों के सामने जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 24 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त विवेचना के दौरान आरोपी पुलन्दर को दिनांक 06.11.2012 को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करना और उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 26 लेखबद्ध कर प्र.पी. 27 के अनुसार उसके द्वारा पेश करने पर एक लाठी की जप्ती करना बताया है। थाना कम्पू से मार्ग की डायरी मय सफीनाफार्म, पी.एम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर धारा 302 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया था। दिनांक 06.12.2012 को आरोपी रामबीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 10 तैयार करना और उससे पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 11 लेखबद्ध करना और उसके बताए अनुसार पेश करने पर एक लाठी बांस की गवाहों के सामने जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 तैयार करना बताया है एवं साक्षी रायसिंह के कथन लेखबद्ध करना बताया है। उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर उनके मेमोरेण्ड कथन लेखबद्ध करना जिसमें उनके द्वारा बताए अनुसार जप्ती का तथ्य अभियोजन साक्षी अनिल शर्मा अ0सा0 8 के कथन से सम्पुष्ट होता है।

25. अभियोजन साक्षी ए.एस.आई राजपालसिंह अ0सा0 11 जिनके द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना की गई है। दिनांक 29.06.2013 को आरोपी दिलीपसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 20 तैयार करना और आरोपी दिलीप से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 21 तैयार करना और उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बांस की लाठी जिसमें कि चार गांठे थी अपने घर की टीन से निकालकर उसके पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 22 तैयार करना बताया है। उक्त आरोपी दिलीपसिंह से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 21 तैयार करना और उससे बांस की लाठी प्र.पी. 22 के अनुसार जप्त करना तहसीलदार सिंह अ0सा0 10 के कथन से भी पुष्ट होता है।

26. ए.एस.आई एन.सी. यादव अ0सा0 7 जिन्होंने कि दिनांक 31.01.2013 को आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 14 तैयार करना एवं उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 15 लेखबद्ध करना और उसके बताए अनुसार उसके मकान से एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार करना बताया है।

27. निश्चित तौर से घटना जिसमें हुई मारपीट के कारण हरपालसिंह की मृत्यु होनी और इन्द्रपालसिंह को चोटें आना बताया गया है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण मानसिंह अ0सा0 1 एवं इन्द्रपालसिंह अ0सा0 2 पिता एवं पुत्र हैं और मृतक हरपालसिंह मानसिंह का पुत्र था। उक्त अभियोजन साक्षियों के जिसमें कि घटना का आहत साक्षी इन्द्रपालसिंह अ0सा0 2 तथा घटना का अन्य चक्षुदर्शी बताया गया साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 के कथन तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी एवं परिस्थितियों के संबंध में सतर्कता एवं सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया जाना उचित होगा।

28. सर्वप्रथम घटना के फरियादी मानसिंह अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी जो कि अपने मुख्य परीक्षण में घटना के समय घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर होना और हल्ला सुनने पर घटनास्थल पर पहुँचना और घटना देखना बता रहा है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 13 में साक्षी ने बताया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो उसने अपने दोनों बच्चों के शरीर पर खून देखा था। साक्षी इसी कंडिका में यह भी बताया है कि उसे गांव से घटनास्थल पर पहुँचने में आधा घण्टे का समय नहीं लगा होगा, कुछ मिनट कम लगा होगा। इसी प्रकार कंडिका 20 में साक्षी यह बताया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा तब उसने घटनास्थल पर घायल अवस्था में दोनों लडकों को एवं टैक्टर ट्राली को देखा था। स्वतः में यह बताया है कि उसने पांचों आरोपगण को भागते हुए देखा था। कंडिका 32 में बताया है कि उसने भागते हुए आरोपीगण को करीब 10-15 कदम की दूरी से देखा था और जिस समय आरोपीगण भाग रहे थे उस समय उजाला था और वह दिखाई दे रहे थे।

29. यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि लिखित रिपोर्ट प्र. पी. 1 है जिसके आधार पर कायमी प्र.पी. 2 है में इस बात का उल्लेख आया है कि शाम को करीब 6 बजे गोहद जाने के लिए वह गांव से निकला था तभी उसे किसी ने बताया कि उसके लडकों को पुलन्दर, रामबीर और दिलीपसिंह मिलकर मार रहे हैं, तब वह दौड़कर घटना स्थल पर पहुँचा था। इस संबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी शिवकुमार शर्मा अ0सा0 12 के द्वारा कंडिका 6 में बताया है कि घटनास्थल से ग्राम आलौरी करीब 1 किलो मीटर की दूरी पर है, इस संबंध में स्वयं मानसिंह के द्वारा भी अपने कथन में यह बताया है कि गांव जहाँ कि वह मौजूद था वहाँ से घटनास्थल पर पहुँचने में आधा घण्टा से कम समय लगेगा। निश्चित रूप से एक किलोमीटर की दूरी यदि कोई व्यक्ति भागते हुए जाए तो साधारणतः 10-15 मिनट का समय लग सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी के द्वारा कहीं भी किसी आरोपी के द्वारा उसके लडके हरपाल और इन्द्रपाल को

कहाँ — कहाँ मारपीट की गई इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त बातें अपने साक्ष्य के दौरान न्यायालय में फरियादी के द्वारा बताई गई हैं।

30. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 व कायमी प्र.पी. 2 में आरोपी भूरा के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा भूरा उर्फ बीरेन्द्र के द्वारा भी मारपीट में भाग लेने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया है। प्रथम बार उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन जो कि घटना के दो दिन पश्चात् दिनांक 06.11.2012 को हुआ है उसमें साक्षी के द्वारा किस आरोपी के द्वारा किस हथियार से उसके लडकों के साथ मारपीट की गई इस संबंध में बताया गया है और आरोपी भूरा उर्फ बीरेन्द्र के द्वारा भी घटना में लाठी लेकर मौजूद होना और उसके लडकों के साथ मारपीट करने के संबंध में बताया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट प्र. पी. 1 और कायमी प्र.पी. 2 और उसके न्यायालय में हुए कथन में साक्षी के प्रतिपरीक्षण कंडिका 22, 23, 24, 25 व 26 के कथनों के परिप्रेक्ष्य में उक्त घटना घटित होते हुए उसके द्वारा देखा जाना अथवा किस आरोपी के द्वारा उसके लडके हरपाल व इन्द्रपाल को कहाँ चोटें पहुँचाई जाने के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर लोप आना स्पष्ट होता है। इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में लोप आना दर्शित होता है। साक्षी मानसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों के परिप्रेक्ष्य में उक्त साक्षी का चक्षुदर्शी साक्षी होना एवं घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित होकर उसके द्वारा सम्पूर्ण घटना देखा जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है, किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षी घटना की जानकारी होने पर घटनास्थल पर पहुँच गया था और उसने घटनास्थल पर अपने पुत्र हरपालसिंह और इन्द्रपालसिंह को घायल अवस्था में देखा था तथा आरोपीगण को घटनास्थल से भागते हुए भी उसके द्वारा देखा गया है।

31. घटना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी घटना का आहत साक्षी इन्द्रपालसिंह अ0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी कंडिका 9 में बताया है कि घटना के समय वह ट्रेक्टर के पास ही खड़ा था जहाँ कि उसके साथ मारपीट हुई थी। उसका भाई हरपाल भी उसके पास ही खड़ा था और दोनों के बीच की दूरी करीब 20 फिट की होगी। साक्षी कंडिका 34 में बताया है कि उसने अपने शरीर में आई चोटें और मृतक हरपाल को आई हुई चोटें पहुँचाते अपनी आँखों से देखी थी। घटना में सबसे पहले उसके भाई हरपाल की मारपीट हुई थी और इस सुझाव से साफतौर से इन्कार किया है कि 05-10 मिनट में घटना समाप्त हो गई थी। साक्षी बताया है कि उसके भाई को सबसे पहले सिर में चोट आई थी।

32. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा कंडिका 29 में इस बात से इन्कार किया है

कि घटना के समय गांव के 4-5 चरवाहे मौजूद थे और इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके पिता से बेरिया बाबा के मंदिर पर कसम लेने से वह नाराज हो गए थे और इसी कारण वह और उसके भाई व उसके पिता केदार बाबा की बंदूक लेकर गोहद से पुलन्दर के रास्ते में जहाँ कि पुलन्दर का भाई दिलीप निकलने वाला था वहाँ पर पहुँचे और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि जैसे ही दिलीप निकला तो उसने अपने भाई से कहा कि ज्यादा कसम लेते हैं मारो इसको और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि इसके पश्चात् उसके भाई हरपाल ने दिलीप को जान से मारने की नियत से केदार बाबा की बंदूक से उसके उपर फायर किया और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दिलीप उनकी गोली से सतर्कता के कारण बाल बाल बच गया एवं इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दिलीप को बचाने के लिए पुलन्दर आया तो उसने अपने भाई से कहा कि मारो तो गोली बहुत कसम खिलाता है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके भाई के द्वारा उसके कहने पर पुलन्दर को जान से मारने की नियत से गोली मारी जिससे पुलन्दर के शरीर पर 12-13 जगह चोटें आईं। कंडिका 31 में साक्षी इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को उसके खेत पर आसपास के लोग चरवाहे खेतों में काम कर रहे थे और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि चरवाहे और आसपास के लोगों ने उन्हें आवाज लगाई थी कि रुको रुको और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने और उसके भाई ने चरवाहों के उपर हवाई फायर किया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके पास बंदूक के राउण्ड का पट्टा भरा था और उनके इरादे खतरनाक थे और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि चरवाहों को एवं आसपास के किसानों को ऐसा लगा कि उन्हें मारकर जाएंगे तो उन्होंने लाठियों से अपना बचाव किया और इस दौरान उसके भाई की बंदूक लाठी की चोट से जमीन पर गिर गई।

33. यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी इन्द्रपालसिंह अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी घटना के समय आरोपी भूरा के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित करने अथवा उसके द्वारा घटना में किसी भी प्रकार से भाग लेने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आरोपी भूरा के संबंध में कंडिका 26 में यह तथ्य आया है कि आरोपी भूरा घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होना और उसके द्वारा घटना कारित करने के संबंध में पुलिस को कथन में नहीं बताया गया है। इस संबंध में प्र.डी. 2 के कथन में बी से बी, डी से डी व ई से ई भाग जिसमें कि आरोपी भूरा के भी घटना में संलग्न होने के संबंध में तथ्य आया है। उक्त बातें उसके द्वारा पुलिस को न बताना अभिकथित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में भी आरोपी भूरा के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा

भूरा के द्वारा कोई घटना कारित किए जाने के संबंध में कोई भी तथ्य अपने कथन में नहीं बताया है, जबकि उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन प्र.डी. 2 में भूरा के घटनास्थल पर मौजूद होने और उसके द्वारा भी घटना में सक्रीय रूप से भाग लेने के संबंध में आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षी के द्वारा आरोपी भूरा उर्फ बीरेन्द्र के घटना में शामिल होने के तथ्य के संबंध में नहीं बताया है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। यदि उसके द्वारा पुलिस कथन से इस बिन्दु पर विपरीत कथन किया जा रहा है तो इस आधार पर उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

34. **“एक बात में असत्य, तो सब बात में असत्य”** यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है। मात्र इस आधार पर कि साक्षी की साक्ष्य का कुछ भाग सत्य होना नहीं पाया गया है, उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को झूठा मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। किसी साक्ष्य के कथन न्यायालय के द्वारा एक बिन्दु पर विश्वास योग्य नहीं पाया गया है तो इससे उसके सम्पूर्ण कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसा से पृथक करे। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **जेकी वि० स्टेट 2007 सी.आर.एल.जे. 1671, हरीशचन्द्र वि० स्टेट ऑफ दिल्ली ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1477, कालीगुरम पदमाराय वि० स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1299** में अवधारित किया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि आरोपी भूरा के संबंध में साक्षी के द्वारा विपरीत कथन किया गया है इस आधार पर यह मानते हुए कि उसके द्वारा “पिक एण्ड चूज” अपनाया जा रहा है, सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण तथा साक्षी की विश्वसनीयता को प्रतिकूलित मानने का आधार नहीं हो सकता है।

35. साक्षी इन्द्रपाल सिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई गंभीर या तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास अथवा विसंगति आनी दर्शित नहीं होती है जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित या प्रतिकूलित होती हो। साक्षी के पुलिस कथन एवं न्यायालय में हुए कथन में यद्यपि आरोपी भूरे के घटना में शामिल होने और उसके द्वारा भी घटना कारित करने के संबंध में पुलिस को दिए गए कथन एवं न्यायालयीन कथन प्रतिपरीक्षण कंडिका 26 में ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी एवं ई से ई भागों का लोप आया है और उसने घटना में मारपीट करने वालों में पांच व्यक्ति शामिल होना अपने साक्ष्य कथन में बताया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षी के कथनों में उपरोक्त संबंध में लोप आया है उसे महत्वपूर्ण प्रकार का मानते हुए साक्षी के सम्पूर्ण न्यायालयीन कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार

नहीं हो सकता है।

36. यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान साक्षी इन्द्रपाल घटना का आहत साक्षी भी है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि आहत साक्षी हमेशा सच बोले। आहत साक्षी की साक्ष्य को ध्यान से देखा जाना चाहिए तभी उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **1997 सी.आर.एल.जे. जे. 454 सुजीत गुलाव शोधरे वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1997 सी.आर.एल.जे. पेज 1778 नारायण कन्नू दंतवले वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एच.एन.ए, 2011 एस.सी.सी. एच.एन.बी. पेज 750 बद्दीलाल वि० स्टेट ऑफ एम.पी. एवं 1974 कि.लॉ. जनरल पेज 1486 बालूराम वि० स्टेट ऑफ यू.पी.** पेश किये गए हैं।

37. आहत साक्षी इन्द्रपाल की साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी की घटना स्थल पर घटना के समय मौजूदगी असंदिग्ध है। यह सामान्य मानवीय स्वाभाव है कि जिस व्यक्ति को घटना में चोटें आई हैं वह असली अपराधी को नहीं बचाएगा और इसकी संभावना बहुत कम रहती है। इस संबंध में **भजनसिंह उर्फ हरभजन वि० स्टेट ऑफ हरयाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जबतक कि उसके गवाह को निरस्त करने का आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसके साक्ष्य में बड़ा विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार **अब्दुल सैय्यद वि० स्टेट ऑफ म०प्र० एस.सी.सी. 259** में यह अवधारित किया गया है कि आहत गवाह की साक्ष्य का विधि में एक विशेष स्तर होता है, क्योंकि इस गवाह की घटनास्थल पर उपस्थिति की, स्वभाविक रूप से गारंटी रहती है और वह गवाह असली अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूप से फसाएगा इसकी संभावना भी कम रहती है। इस कारण आहत साक्षी के कथनों में विश्वास किया जाना चाहिए, जबतक कि अच्छे आधारों पर उसकी साक्ष्य निरस्त करने के लिए कोई आधार अभिलेख पर न हो।

38. साक्षी इन्द्रपाल के सम्पूर्ण साक्ष्य कथन उपरांत ऐसा कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि उक्त साक्षी आरोपीगण दिलीपसिंह, रामबीर और पुलन्दर को वह घटना में झूठा लिप्त कर रहा हो। यद्यपि साक्षी के द्वारा आरोपी भूरा के घटना के समय घटनास्थल पर मौजूदगी एवं उसके द्वारा कोई घटना कारित करने के संबंध में नहीं बताया गया है और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी भूरा के घटना में शामिल होने अथवा उसके द्वारा कोई कृत्य किए जाने बावत् कोई उल्लेख नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में

मात्र इस आधार पर कि मात्र आरोपी भूरा के घटना में लिप्त होने के संबंध में साक्षी के कथन में कोई विपरीत तथ्य आया है तो इससे उक्त आहत साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती और इस परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर अभियोजन प्रकरण के संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

39. जहाँ तक घटना के आहत इन्द्रपाल सिंह के द्वारा घटना में किस आरोपी के द्वारा शरीर के किस भाग में चोटें पहुँचाई जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से न बताए जा सकने का प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जा सका है कि किस आरोपी के द्वारा उसके भाई मृतक हरपालसिंह को एवं उसे कहाँ पर चोटें पहुँचाई गई। इस आधार पर साक्षी के साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर **अन्ना रेड्डी एस.रेड्डी वि० स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 2661** में यह अवधारित किया गया है कि जहाँ घटना में कई संख्या में व्यक्ति मृतक और आहत साक्षी पर हमला करते हैं, उस दशा में यदि साक्षी प्रत्येक अभियुक्त के विशिष्ट कृत्य को नहीं बताता है यह उसके कथन को अविश्वनीय मानने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में गवाहों के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक अभियुक्त का विशिष्ट कृत्य ध्यान में रख सके और उसे बतला सके। निश्चित तौर से वर्तमान प्रकरण में जबकि साक्षी चारों आरोपियों के द्वारा उसके भाई हरपाल एवं उसके साथ लाठियों से मारपीट होना बता रहा है। यदि साक्षी के द्वारा विशिष्ट रूप से किस आरोपी के द्वारा उसके मृतक भाई हरपाल को एवं उसे कहाँ-कहाँ चोटें पहुँचाई गई यह यदि उसके द्वारा नहीं बताया जा सका है तो मात्र इस आधार पर उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

40. जहाँ तक वर्तमान प्रकरण के फरियादी मानसिंह एवं आहत इन्द्रपाल के विरुद्ध पुलन्दर की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में प्रकरण चलने का प्रश्न है, उक्त बात को साक्षी इन्द्रपाल के द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इस संबंध में फरियादी मानसिंह के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस के द्वारा उसके व उसके पुत्र हरपाल एवं इन्द्रपाल तथा उसके भाई केदार पर भी प्रकरण दर्ज किया गया था जो कि इस संबंध में न्यायालय में प्रकरण विचारधीन है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके भाई और पुत्रों ने आरोपीगण पर सर्वप्रथम हमला किया था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उससे बचने के लिए झूठा प्रकरण दर्ज कराया है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि कसम खिलाने की बात को लेकर उसके पुत्र इन्द्रपाल व हरपाल और उसके भाई केदार ने जान से मारने की नियत से दिलीप व पुलन्दर पर प्राण घातक हमला

किया था।

41. यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण के फरियादी मानसिंह व साक्षी इन्द्रपाल तथा मृतक हरपाल एवं केदारसिंह के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण के आरोपी पुलन्दर की रिपोर्ट के आधार पर घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर घटना कारित करने के संबंध में जिसमें कि दिलीपसिंह एवं पुलन्दर की हत्या करने का प्रयत्न करने के संबंध में पुलन्दर की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण इस न्यायालय में चल रहा है जो कि प्रकरण क्रमांक 164/2013 एस.टी. शा0पु0 गोहद वि0 केदार बगैरह वर्तमान प्रकरण का क्रोस केश के रूप में भी है। क्रोस केश का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में **मिठ्ठूलाल बगैरह वि0 स्टेट ऑफ़ एम. पी. ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 149, सुधीर बगैरह वि0 स्टेट ऑफ़ म.प्र. 2001 एस.सी. कैसेस(किमिनल) 387 तथा माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के द्वारा लाखनसिंह वि0 स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2007 (3) एम.पी.एल.जे. 194** में यह अवधारित किया गया है कि क्रोस केस में अभियोजन के द्वारा तथा प्रतिरक्षा पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य का अन्य काउन्टर केस के लिए विचारण नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामलों में रिकार्ड पर उपलब्ध उस मामले के साक्ष्य के आधार पर ही निर्णीत किए जाना चाहिए। निश्चित तौर से क्रोस केशों के प्रकरणों में सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना अपेक्षित है कि घटना का प्रारंभकर्ता अर्थात् आक्रामक पक्ष कौन सा था।

42. उपरोक्त संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोहद में 19:45 बजे अर्थात् शाम के 07:45 बजे दर्ज कराई गई है जो कि फरियादी मानसिंह के द्वारा लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 1 के आधार पर प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज की गई है जो कि आर.एस.चौहान अ0सा0 9 के द्वारा अपराध क्रमांक 250/12 पर दर्ज किया जाना स्वीकार किया है। उपरोक्त दिनांक को ही वर्तमान प्रकरण के आरोपी पुलन्दर के द्वारा हरपाल, इन्द्रपाल व मानसिंह के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई है जो कि रिपोर्ट लेखक आर.एस.कुशवाह अ0सा0 9 के द्वारा सत्रवाद क्रमांक 164/2013 शासन पु0 गोहद वि0 केदारसिंह के साथ संलग्न रिपोर्ट प्र.पी. 1 उनके द्वारा लेखबद्ध करना बताया है जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 5 के रूप में वर्तमान प्रकरण में संलग्न हैं वर्तमान प्रकरण के आरोपी पुलन्दर के द्वारा जो रिपोर्ट की गई है वह 20 बजे अर्थात् शाम के 8 बजे की गई है। इस प्रकार आरोपी पुलन्दर के द्वारा की गई रिपोर्ट वर्तमान प्रकरण के फरियादी मानसिंह की रिपोर्ट के पश्चात् की गई है।

43. घटना के प्रारंभकर्ता का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य

से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को मृतक हरपालसिंह एवं उसके भाई आहत इन्द्रपालसिंह अपने खेत को जोत रहे थे और इसी दौरान आरोपीगण जिनका कि घर पास में ही है घटना स्थल पर आए थे एवं मुखविरी की बात को लेकर उनके द्वारा मृतक हरपाल एवं आहत इन्द्रपाल के साथ मारपीट की घटना की गई जैसा कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट होता है। जबकि वर्तमान प्रकरण के फरियादीगण घटना के प्रारंभकर्ता होना नहीं पाए जाते हैं। यदि आरोपी पुलन्दर के शरीर पर चोटें मौजूद थीं और उसके द्वारा भी थाने में वर्तमान रिपोर्ट के पश्चात् रिपोर्ट कर दी गई तो मात्र इस आधार पर कि वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष के द्वारा यदि आहत पुलन्दर के शरीर पर पाई चोटों के संबंध में कि वह किस प्रकार से पहुँचाई गई है फरियादी पक्ष के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा इस आधार पर कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहत पुलन्दर को पहुँचाई गई चोटें आरोपीगण के द्वारा पहुँचाई जाने का तथ्य भी कोस प्रकरण क्रमांक 164/2013 शा0पु0 गोहद वि0 केदार आदि में प्रमाणित होना नहीं पाया गया है और उन्हें स्वकारित किये जाने के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में यदि पुलन्दर को पहुँचाई गई चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है तो उससे सम्पूर्ण वर्तमान प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष घटना का प्रारंभकर्ता होना प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि घटना का प्रारंभकर्ता आरोपी पक्ष ही रहा है यह सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होता है।

44. ऐसी दशा में जबकि घटना का प्रारंभकर्ता वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष होना नहीं पाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण को कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हुआ हो और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत उनका प्रकरण आता हो ऐसा मान्य नहीं किया जा सकता है और इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2006 कि.लॉ जनरल पेज 4478 लक्ष्मणसिंह वि0 पूनमसिंह, 2007 कि.लॉ जनरल पेज 874 नवीनचन्द्र वि0 उत्तरांचल राज्य, 1987(2) काइम्स पेज 57 सीरियल उद्याल वि0 तमिलनाडू राज्य** के आधार पर जबकि वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियाँ उपरोक्त प्रकरणों से भिन्न हैं। बचाव पक्ष को उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

45. इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में बैकल्पिक रूप से यह भी आधार लिया गया है कि प्रकरण जिसमें कि दोनों पक्षों के मध्य झगडा हुआ है तथा दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, ऐसी दशा में यदि घटना दोनों पक्ष के मध्य फ्रीफाइट के रूप में मानी जाती है तो फ्रीफाइट के प्रकरणों में धारा 34/149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है और

इसके अतिरिक्त फ्रीफाइट के प्रकरणों में जो चोट जिस अभियुक्त के द्वारा पहुँचाई गई है उसे उसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा **2001(2) जे.एल.जे. पेज 176 गोविन्द सिंह वि० म.प्र. राज्य, 2003 कि.लॉ जनरल पेज 4433 बजरापू संवाया वि० आंध्र प्रदेश राज्य, 2002 कि.लॉ. जनरल पेज 4102 शुभमनी वि० तमिलनाडू राज्य, 1992 सुप्रीम कोर्ट किमिनल पेज 422 भगवान स्वरूप वि० स्टेट ऑफ म.प्र. एवं 2002 सुप्रीम कोर्ट केसेस किमिनल पेज 1633 कनवरलाल वि० म.प्र. राज्य, 1998(4) काइम्स पेज 74(सु.को.) राधेश्याम वि० उ.प्र. राज्य, 1978 कि.लॉ. रिपोर्ट पेज 58 विश्वासअव कुरेन वि० महाराष्ट्र राज्य** पेश किए गए हैं। वर्तमान प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य घटनास्थल पर झगडा व मारपीट की घटना हुई हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं है और इस संबंध में वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष के विरुद्ध दर्ज कोस केश 164/2013 सत्रवाद शा०पु. गोहद वि० केदार आदि भी उसमें आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया गया है।

46. इस प्रकार प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होना नहीं पाया गया है कि वर्तमान प्रकरण का फरियादी/आहत पक्ष घटना का प्रारंभकर्ता था अथवा दोनों पक्षों के मध्य घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर झगडा एवं मारपीट हुई है। बल्कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है कि घटना दिनांक को फरियादी पक्ष मृतक हरपाल एवं आहत इन्द्रपाल जो कि आरोपीगण के पास स्थिति खेतों को जोत रहे थे उन्हें मुखवरी की बात को लेकर वर्तमान प्रकरण के आरोपी पक्ष के द्वारा सबक सिखाने के उद्देश्य से मारपीट प्रारंभ की गई। इस मारपीट के दौरान आहत पक्ष के द्वारा आरोपी पक्ष को कोई चोट पहुँचाई गई हो अथवा उनके द्वारा भी मौके पर मारपीट की घटना की गई हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है, जैसा कि इस संबंध में पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसी दशा में वर्तमान प्रकरण के आरोपी पक्ष को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्राप्त होना अथवा घटना फ्रीफाइट की श्रेणी में आने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है और इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर जबकि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न है, उससे बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

47. घटना घटित होने के हेतुक (Motive) का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह बताया गया है कि घटना घटित होने का कोई हेतुक

प्रमाणित नहीं है और कोई ऐसा कारण नहीं था कि आरोपीगण मृतक हरपाल की हत्या करें और आहत इन्द्रपाल की हत्या का कोई प्रयत्न करें। इस संबंध में जैसा कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट है कि मुखविरी की शंका को लेकर के जो कि मृतक एवं आहत के पिता तथा वर्तमान प्रकरण के फरियादी मानसिंह पर मुखविरी की शंका और इस संबंध में मंदिर पर कसम खाने एवं खिलाने का जो कम घटना दिनांक को घटना के पूर्व हुआ था और उसके उपरांत वर्तमान प्रकरण के आरोपीगण आहत इन्द्रपाल एवं मृतक हरपाल जो कि उनके घर के पास स्थित खेत जोत रहे थे उनके साथ मारपीट की घटना की गई। निश्चित तौर से घटना कारित करने के लिए हेतुक विद्यमान होना पाया जाता है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि कोई हेतुक आरोपीगण का मृतक हरपाल की हत्या करने का एवं इन्द्रपाल को जान से मारने के प्रयत्न का नहीं था तो भी इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **नथुनी यादव वि० स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 1997 पेज 1808** में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि कई बार हत्या बिना किसी हेतुक के हो जाती है। वर्तमान प्रकरण में घटना का हेतुक होना भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से घटना के आहत के कथन भी मौजूद है। इस परिप्रेक्ष्य में भी हेतुक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है।

48. मृतक हरपालसिंह की मृत्यु कारित करने के आशय अथवा ज्ञान तथा आहत इन्द्रपाल की हत्या के प्रयत्न के संबंध में आशय या ज्ञान अथवा परिस्थितियों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तथा चिकित्सीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि मृतक हरपाल के मार्मिक अंग सिर व शरीर के अन्य अंगों में चोटें पहुँचाई जाने के कारण मृत्यु हुई है। मृतक हरपाल को लाठियों के द्वारा चोटें पहुँचाई गई और उसे पहुँचाई गई चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है जैसा कि इस संबंध में चिकित्सीय अभिमत में भी बताया गया है। यद्यपि मृतक हरपाल की मृत्यु तुरन्त नहीं हुई है, किन्तु चोट लगने के कुछ घण्टों के अंदर उसके शरीर पर आई हुई चोटें और विशेषकर उसके सिर में आई चोटों जो कि उसके सिर में फ्रेक्चर भी पाया गया है। मृतक की मृत्यु उक्त चोटों के कारण सदमें एवं रक्त स्राव से होने के संबंध में स्पष्ट रूप से चिकित्सक डॉक्टर सार्थक जुगरान अ०सा० 6 के द्वारा बताया गया है। निश्चित तौर से यदि किसी व्यक्ति के मार्मिक अंग में कोई चोट पहुँचाई जाए तो उक्त चोटों से उसकी मृत्यु कारित हो सकती है और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी मृत्यु कारित करने के आशय व ज्ञान से उसके सिर में चोटें पहुँचाई गई है। जैसा कि इस संबंध में **2006 सी.आर.एल.जे. 3899 फुलचिरला वि० स्टेट ऑफ एम.पी.** उल्लेखनीय है। इस

संबंध में घटना के अन्य आहत इन्द्रपालसिंह को भी चोटें पहुँचाई गई हैं जो कि उसके भी लाठियों से मार्मिक अंग में चोट पहुँचाई जानी स्पष्ट होती है जो कि आरोपीगण के आशय और ज्ञान को दर्शाता है और इस प्रकार की परिस्थितियाँ आनी भी स्पष्ट होती है कि उक्त घटना इन्द्रपाल की मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते।

49. दांडिक मामलों में किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। इस संबंध में धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। निश्चित रूप से साक्षियों की मात्रा पर नहीं अपितु उसकी गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। जैसा कि इस संबंध में **जोसेफ वि० स्टेट ऑफ केरल (2003)1 एस.सी.सी. 465, लालू माझी वि० स्टेट ऑफ झारखण्ड 2003 (2) एस.सी.सी. 401** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए साक्षियों की कोई संख्या अपेक्षित नहीं है, यदि एक मात्र साक्षी की साक्ष्य पूरी तरफ विश्वास योग्य पाई जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर रखी जा सकती है। निश्चित रूप से वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी इन्द्रपाल अ०सा० 2 जिसका कि साक्ष्य घटना के समय आरोपीगण दिलीप, पुलन्दर, रामबीर के द्वारा घटना कारित किए जाने के संबंध में विश्वासयोग्य होना पाया गया है।

50. घटना के पश्चात् आरोपी रामबीर से प्र.पी. 12 के अनुसार लाठी की जप्ती जो कि उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा अ०सा० 12 के द्वारा की गई है तथा आरोपी दिलीपसिंह और पुलन्दर से भी लाठियों की जप्ती प्रधान आरक्षक तहसीलदार अ०सा० 10 के द्वारा की जानी प्रमाणित की गई है जो कि घटना के पश्चात् आरोपियों से जप्त की गई है। घटना के पश्चात् आरोपियों से लाठी की जप्ती भी जो कि घटना में प्रयुक्त होनी बताई जा रही है अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि कारक साक्ष्य के रूप में है।

51. अभियोजन प्रकरण की पुष्टि मेडीकल साक्ष्य के आधार पर भी होनी पाई जाती है जो कि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा जिनके द्वारा आहत इन्द्रपाल एवं हरपाल का प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण किया गया है उसमें उनके शरीर पर कड़े एवं भौतरी वस्तु की चोटें होनी पाई गई है और उनके सिर में भी जो कि मार्मिक अंग है में भी कड़े एवं भौतरी वस्ते की चोटें होनी पाई गई है और इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर सार्थक जुगराल जिन्होंने कि हरपाल का पोस्टमार्टम किया है उनके द्वारा भी उसके शरीर में मुदी हुई चोटें होना पाई गई है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य भी प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्ष्य से संगत है जो कि

अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि करता है।

52. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा घटना के समय आरोपीगण के द्वारा घटना स्थल पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करना और उसके सदस्य रहते हुए बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किए जाने के संबंध में आरोपीगण पर आरोप है। विधि विरुद्ध जमाव जो कि धारा 141 भा0दं0वि0 में परिभाषित किया गया है। उसके लिए आवश्यक है कि पांच या पांच से अधिक सदस्य मौजूद हो जिनका कि सामान्य उद्देश्य उक्त धारा में वर्णित विशिष्ट कृत्यों को करना है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर जिसमें कि घटना के आहत साक्षी इन्द्रपाल का कथन महत्वपूर्ण है के परिप्रेक्ष्य में घटना के समय आरोपी भूरा उर्फ बीरेन्द्र के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य किए जाने का कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी आरोपी भूरा के द्वारा घटना में भाग लेने और उसके द्वारा कोई मारपीट करने का कोई उल्लेख नहीं आया है। यद्यपि घटना का फरियादी मानसिंह आरोपी भूरा के भी घटना में शामिल होने के संबंध में बता रहा है, किन्तु साक्षी मानसिंह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी हो ऐसा पूर्ववर्ती विवेचना के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी भूरा के घटना स्थल पर मौजूद होने अथवा उसके द्वारा घटना में भाग लिए जाने का तथ्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

53. निश्चित तौर से जबकि घटना में आरोपी भूरा के संलग्न होने अथवा उसके द्वारा कोई कृत्य किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में घटना के समय घटना स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति मौजूद होना नहीं पाया जाता है और इस परिप्रेक्ष्य में विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना एवं आरोपियों के विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने का तथ्य भी प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। यद्यपि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से आरोपीगण दिलीप, पुलन्दर व रामबीर के द्वारा घटना कारित किए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य विद्यमान होनी पाई जाती है।

54. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान मुख्य रूप से अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता के संबंध में प्रश्नचिन्ह उठाते हुए अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद होना बताया है। इस संबंध में निम्न आधार लिए गए हैं—

- (i) घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संदिग्ध है जो कि बाद में सोच समझकर तैयार कराई गई है।
- (ii) प्रकरण में क्रॉस केश फरियादी पक्ष पर चल रहा है, फरियादी पक्ष ही आक्रामक

है।

- (iii) अभियुक्त पुलन्दर को आई हुई उपहति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण आरोपी पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है।
- (iv) घटना के साक्षीगण एक ही परिवार के है जो कि हितबद्ध साक्षी है, चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।
- (v) साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास, बिसंगति व लोप आया है।
- (vi) धारा 157 दं.प्र.सं. के प्रावधानों का पालन न किया जाना।

55. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया प्रथम आधार कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर बाद में तैयार कराई गई है जो कि उनके अनुसार रिपोर्ट पुलिस के द्वारा सीधे दर्ज न कर लेखीय आवेदनपत्र लिया गया है और लेखीय आवेदनपत्र के पश्चात् उसकी कोई जाँच नहीं कराई गई है, बल्कि तुरन्त उसके आधार पर प्र.पी. 1 के आधार पर प्र.पी. 2 की रिपोर्ट लेख की गई है जिससे कि प्रथम सूचना की स्थिति संदेहास्पद होती है और मामला झूठा बनाया जाना प्रतीत होता है।

56. बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उपरोक्त आधार और उनके तर्क का जहाँ तक प्रश्न है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित में प्र.पी. 1 की मानसिंह के द्वारा दी गई है और उसके आधार पर प्रथम सूचना क्रमांक 250/12 धारा 147, 148, 149, 307 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके लेखक रमेश सिंह अ0सा0 9 के द्वारा प्रमाणित किया गया है। निश्चित तौर से जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उस समय तक हरपाल की मृत्यु नहीं हुई थी। हरपाल की मृत्यु जे.ए.एच ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में कहीं हुई है और जे.ए.एच ग्वालियर हॉस्पिटल में उसका परीक्षण करने पर वह मृत पाया गया है, जिस पर धारा 174 दं0प्र0सं0 के तहत मृत्यु सूचना की जाँच पर धारा 302 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया है। मर्ग की सूचना अनुविभागीय अधिकारी को मर्ग कायम करने के तुरन्त पश्चात् दी जानी स्पष्ट होती है। लिखित प्रथम सूचना के संबंध में मात्र रिपोर्टकर्ता मानसिंह के द्वारा उसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट न कर पाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट संदेहास्पद मानने का कोई आधार भी नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया यह आधार कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में सोच समझकर दर्ज कराई गई है ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है।

57. बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए अन्य आधार कि वर्तमान प्रकरण के फरियादीगण के विरुद्ध भी कोस केस चल रहा है जो कि वर्तमान प्रकरण के आरोपी पुलन्दर के द्वारा की

गई रिपोर्ट के आधार पर फरियादी पक्ष के विरुद्ध प्रकरण चल रहा है। घटना का फरियादी पक्ष ही आक्रामक पक्ष है। फरियादी पक्ष के हरपालसिंह जो कि घटना के समय बंदूक लिए हुए था के द्वारा घटना प्रारंभ की गई है।

58. बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उपरोक्त आधार का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना तथा निकाले गए निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि फरियादी पक्ष आक्रामक पक्ष के रूप में नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना घटित होने के पश्चात् थाने में पहले फरियादी पक्ष की ओर से रिपोर्ट की गई है एवं आरोपी पक्ष के द्वारा रिपोर्ट बाद में दर्ज कराई गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी फरियादी पक्ष आक्रामक पक्ष के रूप में होना नहीं पाया गया है। दोनों पक्षों के मध्य कोई फ्रीफाइट हुई हो ऐसा भी साक्ष्य के आधार पर नहीं पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र फरियादी पक्ष के विरुद्ध कोस केस होने के आधार मात्र पर वर्तमान प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठता है।

59. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह आधार भी लिया गया है कि घटना में आरोपी पुलन्दर को भी उपहतियाँ कारित हुई है, किन्तु उसकी उपहतियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण फरियादी पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में जबकि घटना में आरोपी पुलन्दर भी घायल हुआ है उसकी उपहतियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न देना अभियोजन प्रकरण को प्रतिकूल सिद्ध करता है।

60. वर्तमान घटना के आरोपी पुलन्दर की चोटों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कि वास्तव में वर्तमान प्रकरण के फरियादी पक्ष के द्वारा ही पुलन्दर को कोई चोटें पहुँचाई गई हो यह तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। यदि आरोपी पुलन्दर के शरीर पर चोट मौजूद थी तो मात्र इस आधार पर कि उसे आई हुई चोटों के संबंध में फरियादी पक्ष के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वह वर्तमान सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में **2001(6) एस.सी.सी. 145 टाखाजी हीराजी बनाम ठाकुर केवेर सिंह बगैरह** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता। जब कभी अभियुक्त को उसी घटना में चोटें आयी हों तो अभियोजन को उसे स्पष्ट करना होगा एवं स्पष्ट न करने पर अभियोजन का सम्पूर्ण प्रकरण अविश्वसनीय माना जायेगा। इसी प्रकार **हीरालाल अन्य वि० म० प्र० राज्य एम.पी.एल.जे. 243 ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 368 नेमीचन्द्र वि० स्टेट ऑफ उत्तरांचल** में भी स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त को

उसी घटना में चोट आयी है तो उसका स्पष्टीकरण न देने मात्र के आधार पर अभियोजन का प्रकरण अवश्वसनीय नहीं माना जा सकता। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यदि अभियुक्त की चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है तो मात्र इस आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है।

61. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी मृतक के रिस्तेदार है इस कारण उक्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है। हितबद्ध साक्षियों के कथन पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 व इन्द्रपाल अ0सा0 2 आपस में रिस्तेदार है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण मृतक के रिस्तेदार है उनके साक्ष्य को हितबद्ध मानते हुए उन्हें अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस बिन्दु पर **दिलीपसिंह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 354 एवं स्वर्णसिंह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब (1976)4 एस.सी.सी. 369 एवं मानो वि0 स्टेट ऑफ तमिलनाडू 2007 सी.आर.एल.जे. 2736 एस.सी. एवं बीरेन्द्र पोद्दार वि0 स्टेट ऑफ विहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** उल्लेखनीय है जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र निकट संबंधी होने के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं माना जा सकता है, जबतक कि यह विचार करने का कोई कारण या आधार न हो कि ऐसे आरोपी को साक्षी मिथ्या फसाने में रूचि रखते हों और आरोपी को झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में कोई उचित नींव रखी जानी आवश्यक है।

62. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि वर्तमान आरोपीगण को हत्या के संबंध में प्रकरण में झूठा फसाया जा रहा है अथवा किसी रंजिश के कारण उन्हें लिप्त किया जा रहा हो। अभियोजन साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 तथा इन्द्रपाल अ0सा0 2 के सम्पूर्ण साक्ष्य उपरांत उक्त साक्षीगण के द्वारा मात्र मृतक पक्ष से हितबद्ध होकर अथवा आरोपीगण से रंजिशवस उन्हें झूठा लिप्त किये जाने का कोई भी आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण मृतक हरपालसिंह से उक्त साक्षी संबंधी है उनके कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में **स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 सुबोधनाथ (2009)6 एस.सी.सी. 600** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह सामान्य मानवीय स्वभाव है कि रिस्तेदार साक्षीगण उनके रिस्तेदार की हत्या के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं फसाएंगे और यह चाहेंगे कि असली अपराधी दंडित हो। ऐसी

दशा में आरोपीगण को मात्र मृतक के रिस्तेदार होने के आधार पर साक्षीगण के द्वारा झूठा लिप्त किया जा रहा हो और उनके विरुद्ध कथन किये जा रहे हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है एवं न ही उक्त आधार सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार है।

63. जहाँ तक घटना के चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी रायसिंह अ0सा0 4 जो कि पक्षद्रोही रहा है। उक्त साक्षी के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि उसका उपयोग अभियोजन/बचाव पक्ष दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से **2001 सी.आर.एल.जे. पेज 487 एस.सी. गौरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2005 कि.लॉ. जनरल पेज 2569 एस.सी. मुर्तिकार बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. एवं 1993 कि.लॉ. जनरल पेज 120 एम.पी. शत्रुघन वि0 स्टेट ऑफ एम.पी.** पेश किए गए हैं। इस आधार पर उनके द्वारा व्यक्त किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी के द्वारा बचाव पक्ष का समर्थन किया जा रहा है, जिससे कि अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उठाता है।

64. साक्षी रायसिंह अ0सा0 4 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। यद्यपि उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समुचित रूप से समर्थन नहीं किया है, किन्तु इस आधार पर कि साक्षी रायसिंह किन्हीं अज्ञात कारणों से जो कि उसका पक्षकारों से कोई द्वेष या वैर भाव मोल न लेना या कोई अन्य कारण हो सकते हैं, अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया जा रहा है तो मात्र इस आधार पर जबकि अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता हेतु अन्य विश्वासयोग्य एवं सम्पुष्टिकारक साक्ष्य मौजूद हैं, इस आधार पर कि साक्षी रायसिंह के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया जा रहा है तो यह अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय या बनावटी मानने का आधार नहीं हो सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी रायसिंह दिन तीन चार बजे हरपाल के द्वारा दिलीप पर गोली चलाना बता रहा है, किन्तु दिन के तीन चार बजे घटनास्थल पर कोई घटना हुई हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में साक्षी रायसिंह के द्वारा यदि बचाव पक्ष के संबंध में तीन चार बजे की कोई घटना होने का समर्थन किया जा रहा है तो इस आधार पर बचाव पक्ष के बचाव को कोई बल नहीं मिलता है तथा बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का आधार नहीं हो सकता है।

65. घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं बिसंगति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास एवं बिसंगति आई है, किन्तु उक्त वर्णित साक्षी मानसिंह अ0सा0 1 व इन्द्रपाल अ0सा0 2 घटना के

समय मौके पर उपस्थित थे यह साक्ष्य से प्रमाणित है। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान जो कि उनका चातुर्यपूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया है इस दौरान कतिपय विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप व आधिक्य आना संभव है। मात्र इस आधार पर साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास एवं विसंगति आई है सम्पूर्ण कथन अविश्वसनीय मानने अथवा उसे दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **शिवप्पा बगैरह वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक 2008 सी.आर.एल.जे. 2992, मेहरवान वि० स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर 1997 एस.सी. 1528** में यह अवधारित किया गया है कि साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास, बिसंगति, आधिक्य के आधार पर उनके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षियों की सामाजिक पृष्ठभूमि घटना घटित होने के उपरांत से साक्ष्य होने तक के दिनांक के बीच के अंतराल को देखते हुए इस प्रकार की बिसंगति व विरोधाभास आना स्वभाविक है।

66. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह आधार भी लिया गया है कि घटना की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस संबंध में विवेचना अधिकारी के द्वारा एफ.आई.आर. की प्रति भेजे जाने के संबंध में नहीं बताया गया है, जबकि धारा 157 दं.प्र.सं. के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को 24 घण्टे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भेजना आवश्यक है जो कि एफआईआर में बताए गए समय व दिनांक की पुष्टि हो सके और इस संबंध में किसी प्रकार की संदेहन की स्थिति न रहे। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा **2005(3) जे.एल.जे. पेज 183 चरणू वि० म.प्र. राज्य एवं 1994 कि.लॉ. रिपोर्टर (एम.पी.) पेज 274 मुन्नीलाल वि० म.प्र.राज्य** पेश किए गए हैं।

67. जहाँ तक बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए आधार कि धारा 157 दं.प्र.सं. का पालन नहीं किया गया है और इस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई जानी संदिग्ध है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा पूर्व वर्णित न्याय दृष्टांत पेश किये गये हैं। वर्तमान प्रकरण में यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय में भेजे जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा अलग से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, किन्तु न्यायालय अभिलेख से स्पष्ट है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को दिनांक 06.11.2012 के प्राप्त हुई है। ऐसी दशा में जबकि घटना की रिपोर्ट होने के पश्चात् घटना की विवेचना तुरन्त प्रारंभ कर दी गई है। वर्तमान प्रकरण जो कि मुख्य रूप से चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर निर्भर है तथा घटना घटित होने के तुरन्त पश्चात् विवेचना की कार्यवाही प्रकरण में प्रारंभ कर दी गई है और बिना बिलम्ब के आहत साक्षियों के धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत लेखबद्ध किये गए हैं। ऐसी दशा में प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध करने के पश्चात् जब प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर 1997 एस.सी. 352 मदरू वि० स्टेट ऑफ म०प्र०, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 304 स्टेट ऑफ कर्नाटक वि० मोईन पटेल, (2002)8 एस.सी.सी. 440 अलाचीनाऐपेटों वि० स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंधित मजिस्ट्रेट को बिलम्ब से भेजी गई है, सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद अथवा बनावटी मानने का आधार नहीं हो सकता। ऐसी दशा में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों में ऐसा मान्य नहीं किया जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में सोच समझकर फर्जी रूप से दर्ज कराई गई है।

68. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण पुलन्दर, रामबीर और दिलीप घटनास्थल पर मौजूद थे और उनके द्वारा मृतक हरपाल और आहत इन्द्रपाल को जान से मारने की नियत से उन पर लाठियों से प्राणघातक हमला किया। उपरोक्त घटना में विचारित किये जा रहे उपरोक्त तीनों ही आरोपीगण की मौजूदगी और उनके द्वारा घटना में सक्रीय रूप से भाग लिया जाना भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सहआरोपीगण महेन्द्रसिंह भी घटना में शामिल होना बताया जा रहा है के बाल अपचारी होने से उसका विचारण पृथक् से किया जा रहा है। यद्यपि घटना में अन्य सहआरोपी भूरा उर्फ बीरेन्द्र के द्वारा घटना में सक्रीय रूप से भाग लेने और उसके द्वारा कोई कृत्य किया जाने का तथ्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि घटनास्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी का तथ्य प्रमाणित नहीं है। घटना में आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने और जमाव के सदस्य रहते हुए उनके द्वारा बलवा कारित किये जाने का तथ्य इस परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। घटनास्थल पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए आरोपीगण के द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने का तथ्य यद्यपि प्रमाणित नहीं है, किन्तु निश्चित तौर से प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण दिलीप, पुलन्दर व रामबीर के घटनास्थल पर लाठियों सहित मौजूद होने और उनके द्वारा घटना में सक्रीय रूप से भाग लेना जिसमें कि हरपाल व इन्द्रपाल पर प्राणघातक हमला किया गया था और इसी अनुक्रम में उनके द्वारा मारपीट कर हरपाल और इन्द्रपाल को उपहतियों कारित की जानी प्रमाणित है होती है और इन्हीं उपहतियों के कारण हरपाल की मृत्यु हो जाना भी प्रमाणित

पाया जाता है तथा इन्द्रपाल को भी उनके द्वारा जान से मारने के आशय से चोटें पहुँचाई जाने का तथ्य भी प्रमाणित होता है।

69. इस संबंध में यद्यपि आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त कृत्य करना प्रमाणित नहीं हुआ है, किन्तु निश्चित तौर से आरोपीगण जिन पर कि धारा 302 विकल्प में धारा 302/149 भा०दं०वि० तथा धारा 307 विकल्प में धारा 307/149 भा०दं०वि० का आरोप है। यद्यपि विधि विरुद्ध जमाव का गठन होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उनके द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है, किन्तु निश्चित रूप से घटना के समय घटनास्थल पर वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी दिलीप, पुलन्दर और रामबीर की मौजूदगी और उनके द्वारा घटना कारित किये जाना जो कि उनका आशय हत्या एवं हत्या के प्रयत्न का होना उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित होना पाया जाता है जो कि उनके द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उनके द्वारा कृत्य किया गया होना प्रमाणित होता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण दिलीप, पुलन्दर व रामबीर का कृत्य जो कि हरपाल की हत्या कारित करने और इन्द्रपाल की हत्या के प्रयत्न के संबंध में सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए कारित किया जाना प्रमाणित होता है। आरोपीगण रामबीर, दिलीप व पुलन्दर का कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए हरपाल की हत्या करने एवं इन्द्रपाल की हत्या के प्रयत्न करने के संबंध में उन्हें दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है जो कि धारा 34 भा०द०वि० के प्रावधानों के तहत सामान्य आशय के अग्रसरण में उनका कृत्य होने से उन्हें उक्त धारा की सहायता से दोषसिद्ध ठहराए जाने में कोई अनियमितता भी होनी नहीं पाई जाती है।

70. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण आंशिक रूप से प्रमाणित होना पाया जाता है जो कि घटना दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण दिलीप, पुलन्दर व रामबीर के द्वारा आशय या जानबूझकर हरपाल की मारपीट कर उसकी हत्या करने एवं आरोपीगण के द्वारा आहत इन्द्रपाल की हत्या के प्रयत्न के संबंध में जो कि उक्त आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त कृत्य किया जाना प्रमाणित होता है। जबकि घटना दिनांक, समय व स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना और आरोपीगण के उसके सदस्य रहते हुए बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करने अथवा इस दौरान घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आरोपी भूरे उर्फ बीरेन्द्र के घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार से घटना में शामिल होने व

कोई घटना कारित करना भी प्रमाणित नहीं होता है।

71. फलतः अभियोजन प्रकरण को आंशिक रूप से प्रमाणित पाते हुए आरोपीगण दिलीप, रामबीर व पुलन्दर को धारा 302 वैकल्पिक 302/149 के स्थान पर धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा धारा 307 वैकल्पिक धारा 307/149 भा०दं०वि० के स्थान पर धारा 307 सहपठित धारा 34 भा०द०सं० के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है, जबकि उक्त आरोपीगण को धारा 147, 148 भा०द०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी भूरा उर्फ बीरेन्द्र को धारा 147, 148, 302 विकल्प में धारा 302/149, 307 विकल्प में धारा 307/149, भा०द०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

72. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

पुनश्चयः—

73. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अभिभाषक एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक ने व्यक्त किया कि घटना में एक भाई की निर्मम हत्या हुई है तथा दूसरे भाई की हत्या का प्रयास किया गया है। आरोपीगण को विधि द्वारा विहित अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। आरोपीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरोपीगण ग्रामीण पृष्ठभूमि के कृषि करने वाला व्यक्ति हैं और उनकी कृषि उन्हीं पर ही निर्भर है, वह आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं। ऐसी दशा में दण्ड के बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निवेदन किया है।

74. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 307 सहपठित धारा 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध प्रमाणित होनी पाई गई। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, आरोपीगण का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड होना भी दर्शित नहीं है। प्रकरण बिरल से बिरलतम ममालों की श्रेणी में नहीं आता है जो कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898 बचनसिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब राज्य एवं ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 947 माचेसिंह वि० पंजाब राज्य में बिरल से बिरलतम प्रकरण की स्थिति दर्शाई गई है।

75. विचारोपरांत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक आरोपी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा0दं0वि0 के आरोप हेतु **आजीवन कारावास** एवं 20,000/-20,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोपी को 03 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है तथा धारा 307 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के आरोप हेतु प्रत्येक आरोपी को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/-5000/-रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोपी को 01-01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जावे। आरोपीगण को प्रदत्त उपरोक्त सभी धाराओं की मूल सजाएं एक साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

76. प्रकरण के अनुसंधान, जाँच एवं विचारण के दौरान आरोपीगण के द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी मूल सजा में मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र. सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।

77. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 60,000/- रूपए मृतक हरपाल के विधिक वारिसों को प्रतिकर स्वरूप दिलाई जावे तथा 15,000/- रूपए आहत इन्द्रपाल को प्रतिकर स्वरूप दिलाई जावे।

78. प्रकरण में जप्तशुदा वांस की लाठियाँ 4 नग, खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, शीलबंद पैकेट मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाए। प्रकरण में जप्तशुदा कारतूस के खोखे, जिंदा कारतूस, टूटी हुई बंदूक का बट का हिस्सा और बंदूक का लीवर व लोहे की बंदूक के अन्य बताए गए पुर्जे निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.